बीमा, प्रदूषण, फिटनेस फेल तो टोल पर ऑटोमेटिक कट जाएगा ई-चालान

- राज्य के सभी टोल प्लाजा पर लगाया गया ई-डिटेक्शन सिस्टम, कटने लगा है ई चालान
- वाहन चलाते समय मोटरवाहन अधिनियम की धाराओं के उल्लंघन पर स्वतः कट जाएगा गाड़ी का चालान
- **02** दिनों में टोल प्लाजा से होकर गुजरने वाले राज्य और राज्य के बाहर के 5 हजार से अधिक वाहनों का कटा ई चालान

पटना (एसएनबी)। राज्य सरकार ने मोटरवाहन अधिनियम के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब, राज्य के सभी टोल प्लाजा पर ई डिटेक्शन प्रणाली से ऑटोमेटिक ई-चालान की सुविधा शुरू की गई है, जिससे वाहन चालकों को मोटरवाहन अधिनियम के उल्लंघन पर तत्काल ई चालान काटा जा सकेगा।

सभी टोल प्लाजा पर ई डिटेक्शन सिस्टम परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि राज्य के सभी टोल प्लाजा पर ई-डिटेक्शन प्रणाली स्थापित की गई है, जो वाहनों की जांच करेगी और आवश्यक दस्तावेजों की अनुपस्थिति में स्वचालित रूप से ई-चालान जारी करेगी। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि ई डिटेक्शन सिस्टम से ई चालानिंग होने के बाद टैक्स एवं अन्य डिफॉल्टर वाहनों की संख्या में कमी आयेगी। ई-डिटेक्शन सिस्टम से मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन कर चलने वाले वाहनों की पहचान आसान होगी और उनसे जुर्माना भी वसूला जा सकेगा। बिना परमिट चलने वाली बसों पर भी लगाम लग सकेगी।

अगर आपकी गाड़ी का प्रदूषण, बीमा, फिटनेस आदि फेल है तो ई-डिटेक्शन से ऑटोमेटिक ई-चालान कट जाएगा। यह चालान एक दिन में किसी टोल प्लाजा पर एक ही बार काटा जाएगा। इसकी सूचना संबंधित वाहन मालिक के मोबाइल नंबर पर भेजा जायेगा।

> ■ ई चलानिंग होने के बाद टैक्स व अन्य डिफॉल्टर वाहनों की संख्या में कमी आयेगी : संजय अग्रवाल

> बिना परमिट चलने वाली बसों पर भी लगाम लग सकेगी

सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम

परिवहन सचिव ने बताया कि राज्य में हो रही सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मौत राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो रही है। इस पर नियंत्रण के लिए जरूरी है कि वाहन का फिटनेस, परमिट, बीमा, मोटर वाहन कर आदि का अनुपालन शत प्रतिशत सख्ती से लागू किया जाए। बिहार सरकार ने यह कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और मोटरवाहन अधिनियम के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए उठाया है। ई डिटेक्शन प्रणाली के शुरू होने से वाहन चालकों को मोटरवाहन अधिनियम के नियमों का पालन करने में मदद मिलेगी और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। राज्य के टोल प्लाजों पर स्थापित ई डिटेक्शन प्रणाली से वर्तमान में वाहन का फिटनेस, बीमा, प्रदूषण नहीं रहने पर ई चालान निर्गत किया जा रहा है। ट्रायल के तौर पर 2 दिनों में 5 हजार से अधिक वाहनों का टोल प्लाजों पर ई चालान निर्गत किया गया है।

ई-डिटेक्शन से ऐसे कटेगा ई चालान

टोल प्लाजा से होकर गुजरने वाले वाहन जब फास्टैग के संपर्क में आएंगे, तो तस्वीर सहित वाहन से संबंधित सारा डाटा सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। इसके बाद इस डाटा का एनआईसी के वाहन पोर्टल पर उपलब्ध डाटा से मिलान कराया जाएगा। इसके जरिए संबंधित वाहन के निबंधन, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र आदि की अद्यतन जानकारी मिल जाएगी। इसमें कमी पाए जाने पर संबंधित वाहन मालिकों को ई-चालान निर्गत किया जायेगा।